

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, प्लॉट नं. 35 A, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 30.05.2015

क्रमांक/ 87 /स्थापना-सेवा/2015 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 63/स्थापना सेवा/2015, दिनांक 19.05.2015 द्वारा श्री अवधबिहारी त्रिपाठी, पंजीयन लिपिक के उप पंजीयक कार्यालय नौगांव, जिला छतरपुर से उप पंजीयक कार्यालय शाहनगर, जिला पन्ना में किए गए स्थानांतरण में संशोधन करते हुए उन्हें स्वयं के व्यय पर जिला पंजीयक कार्यालय सतना में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वार्इन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा। स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

निरंतर.....2

पृष्ठां क्र० 276/स्थापना-सेवा/2015

भोपाल, दिनांक 30.05.2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. संभागायुक्त, की ओर सूचनार्थ ।
4. जिलाध्यक्ष, छतरपुर/पन्ना/सतना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन जबलपुर/ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक/ जिला पंजीयक सतना/ छतरपुर/पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । स्थानांतरित कर्मचारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
7. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. श्री अवधबिहारी त्रिपाठी, पंजीयन लिपिक, उप पंजीयक कार्यालय नौगांव, जिला छतरपुर की ओर पालनार्थ ।



महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश